132/2017, Babulal vs govt.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
21.05.18	अपीलान्ट अनुपस्थित। यह प्रथम अपील अपीलान्ट ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर प्रस्तुत की। अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अवगत कराया कि उनके द्वारा आवेदन धारा 6(3) के तहत तहसीलदार धौलपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प.1/राज0सम्पर्क /आरटीआई /2018/3377 दिनांक 15.05.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर के लिए प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को नियुक्त किया है। तहसीलदार धौलपुर के विरूद्ध उपखण्डाधिकारी धौलपुर प्रथम अपील सुनने हेतु सक्षम अपील अधिकारी है। अपील अपीलान्ट सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट उपखण्डाधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित की जाती है। मूल पत्रावली उपखण्डाधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे। अपीलान्ट को सूचित किया जावे कि वह अपनी अपील के निस्तारण हेतु दिनांक 04.06.18 को उपखण्डाधिकारी धौलपुर के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली की फोटो प्रति रिकॉर्ड में रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जावे। जिला कलक्टर धौलपुर	